

कार्यालय: सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या/सम्बद्धता/

83

/2017-18

दिनांक 13 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 278/15-11-2017 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 30.05.2017 द्वारा गिजी संस्थान बाबा धर्मदेव बालिका महाविद्यालय, प्लॉट नं० 613, 614, 617, 603, 596, 599 ग्राम कैथवलिया, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामाण्य एवं सुरक्षित कोषों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सहायिता मानकों के अनुसार मूलीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धिकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वनुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल विडिडिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा उद्घाटन संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार विभिन्न व्ययित सकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। सकाय सदस्यों के धारोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ इंटरनेटिक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) परनगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यक्रम में की गयी संस्तुति तथा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 278/2012 सी० टी० महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश तथा आई०ए० नं० 9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक में लिये गये निर्णय के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017-18 से दो यूनिट (100 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है। उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

कृत सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

मु०स०/सम्बद्धता/

3134-41

/2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन मिडि-1 (एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सि० मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005(राजस्थान))।
6. प्रभार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान-गाजीपुर।
7. सचिव/प्रबन्धक बाबा धर्मदेव बालिका महाविद्यालय, प्लॉट नं० 613, 614, 617, 603, 596, 599 ग्राम कैथवलिया, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर।
8. गार्ड फाइल।

कृत सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।